Indexed with SJIF
Impact Factor: 4.471
ISSN: 2456 - 608X
International Journal of Legal Research and Studies
A Peer-Reviewed Refereed Online Law Journal

अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकार संरक्षण में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की भूमिका का समीक्षात्मक अध्ययन

डॉ. कैलाश कुमार कुर्मी, सहायक प्राध्यापक, विधि केंद्र–2, विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय
ज्योति गर्ग, शोधार्थी, विधि अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर, मध्य प्रदेश

शोध सारांश

देश के अन्य राज्यों के समान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को अन्य जातियों के समान दर्जा देने का दावा किया जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। अनुसूचित जाति की स्थिति हमेशा ही चिंता का विषय रही है। उनके पास अभी समस्याएं हैं लेकिन उनकी समस्याओं की गंभीरता पहले की तुलना में कम हुई है। सरकार उनके लिए विशेष रूप से कानून बनकर, उनके कल्याण के लिए समर्पित आयोगों की स्थापना करके और आरक्षण का उपयोग करके उनकी स्थितियों में सुधार करने की कोशिश कर रहीं है। हमारी सामाजिक संरचना में असमानता को स्वीकार करते हुए संविधान निर्माताओं ने कहा कि हमारी सामाजिक संरचना में असंतुलन के कारण कमजोर वर्गों को राज्य द्वारा उचित आधार पर संरक्षण और विशेषाधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। परिणाम स्वरूप राज्य को समाज के सबसे कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए विशिष्ट दायित्व दिया गया और संविधान में बहुत सी धाराओं के तहत भेदभाव से सुरक्षा प्रदान किया गया है। समाज के अन्य कमजोर समूहों की तहर, अनुसूचित जाति के लोगों के जीवन में आजादी के बाद एक नाटकीय बलदाव का अनुभव होने लगा सरकार ने उनकी समाजिक आर्थिक स्थिति में सुधान के लिए कई कार्यक्रमों को लागू करना शुरू किया। भारतीय संविधान भी उन्हे सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण सहित विशेष सुरक्षा और लाभ प्रदान करता है। सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के रोजगार और शिक्षा में अवसर की पूर्ण समानता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इस शोध में विभिन्न कल्याणकारी योजनओं के द्वारा अनुसूचित जाति को अधिकार संरक्षण में दिए गए योगदान का विश्लेषणात्मक अध्ययन है जो उनके अधिकारों के संरक्षण में उनके लिए एक सहायक हस्त की तरह हैं।जब सभी वर्गों को समान अवसर प्राप्त होगा तभी हमारा देश विकसित होगा।

कुंजी शब्द

कल्याणकारी योजनाऐं, विकास, अनुसूचित जाति, कार्यान्वयन, विधिक, अधिकार

प्रस्तावना

अनुसूचित जातियां देश में वे जातियां हैं जो अस्पृश्यता की सदियों पुरानी प्रथा के साथ–साथ बुनियादी सुविधाओं की कमी और भौगोलिक अलगाव के कारण अत्याधिक सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन का अनुभव करती हैं। इन जातियों को अपने हितों की रक्षा करने और अपने सामाजिक आर्थिक विकास को गति देने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अनुसूचितज जातियों के हितों को बढ़ावा देने तथ्ज्ञ अधिकारों को संरक्षण देने वाला मुख्य मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है। हालांकि जिन क्षेत्रों में केन्द्रीय मंत्रालय काम करते हैं और राज्य सरकारों पर अनुसूचित जातियों के हितों को बढ़ावा देने की मुख्य जिम्मेदारी होती है, मंत्रालय विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रमों के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हस्तक्षेप करके उनके प्रयासों को पूरा करता हैं मंत्रालय अनुसूचित जाति विकास ब्यूरो शिक्षा, रोजगार और अन्य अवसरों तक उनकी पहूँच बढाकर अनुसूचित जातियों के अिकारों को सुनिश्चित करना है। अनुसूचित जातियों के अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा उठाए गये कदमों और संचालित योजनाओं पर भी निगरानी रखी जाती है।

शोध का उद्देश्य

1. अनुसूचित जाति वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अध्ययन करना।

Indexed with SJIF
Impact Factor: 4.471
ISSN: 2456 - 608X
International Journal of Legal Research and Studies
A Peer-Reviewed Refereed Online Law Journal

2. इस तथ्य की समीक्षा करना कि सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान में अब तक असफल क्यों है?
3. अनुसूचित जाति वर्ग के विशिष्ट समस्याओं का अध्ययन करना।
4. अनुसूचित जाति वर्ग के विशिष्ट समस्याओं का अध्ययन करना।

शोध परिकल्पना

भारतीय विधियों में अनुसूचित जाति को विशेष संरक्षण का प्रावधान है किन्तु अनुसूचित जपाति वर्ग अभी भी अत्य सामाजिक वर्गों की तुलता में आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है। उनके सामाजिक उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का भी क्रियात्वयन किया जा रहा है जो अनुसूचित जाति के अधिकार संरक्षण हस्त सिद्ध हो रहा ळें

शोध प्रविधि

इस शोध कार्य में सैद्धांतिक पद्धिति का प्रयोग किया गया है। यह शोध द्वितीययक आंकड़ों पर आधिारित है। ये तथ्य साहित्य और आधिकारिक सरकारी दस्तावेजों में पाए गए थे। यह शोध वर्णनात्मक शैली में है।

पूर्व शोध समीक्षा

योगेश्वरी साहू ने अपने शोध पत्र ”अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के आर्थिक विकास में निगम की अंत्योदय स्वरोजगार योजना एवं आदिवासी स्वरोजगार योजना के योगदान का मूल्यांकन (राजनांदगांव जिले के विशेष संदर्भ में)” शीर्षक में उल्लेख किया गया है। इसमें हाशिए पर रहने वाले समुदायों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्व–रोजगार और आर्थिक विकास में अंत्यसावयी वित्तीय और विकास निगम की भूमिका पर एक अंर्तदृष्टि प्रदान करता है। यह शोध सरकार के नेतृत्व वाले कार्यक्रमों की प्रभावशीलता पर अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। जिसका उद्देश्य हाशिए पर रहने वाले सुदायों के बीच स्वरोजगार और आर्थक विकास को बढ़ावा देना है और वित्तीय प्रोत्साहन और विकास कार्यक्रम ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों की आर्थिक स्थितियों में सुधार करने में भूमिका निभा सकते हैं[1]।

प्रकाशचंद्र जैन ने अपने शोध पत्र शीर्षक ”विकास व्यवस्था के शिकार आदिवासीः संरक्षात्मक भेदभाव का मसला” में विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण प्रणाली पर एक अंर्तदृष्टि प्रदान करता है। यह प्रणाली की प्रभावशीलता और निष्पक्षता के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है और आरक्षण अनुपात को बढ़ाने के साधन के रूप में जाति के भीतर जाति की अवधारणा को लागू करने का सुझाव देता है। यह आरक्षण को जमीनी स्तर पर लागू करने की चुनौतियों पर भी प्रकाश डालता है, इसके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार लोगों के सामने आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों पर प्रकाश डालता है। लेख सामाजिक नीति और सामाजिक न्याय के क्षेत्रों में काम करने वाले विद्वानों, नीति निर्माताओं और चिककित्सकों के लिए रूचिकर होने की संभावना है और आरक्षण प्रणाली के आसपास के प्रवचन में एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है[2]।

अवधारणा

अनुसूचित जाति :– भारत में अनुसूचित जाति समाज में अन्य सभी लोगों से सामाजिक रूप से हीन हैं क्योंकि वे जाति संरचना में सबसे निचले स्थान पर हैं। अतीत में, लोग साजिक बहिष्कार, आर्थिक

---

[1] साहू युगेश्वरी एवं टांडेकर के. एल. ”अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के आर्थिक विकास में निगम की अंत्योदय स्वरोजगार योजना एवं आदिवासी स्वरोजगार योजना के यागदान का मूल्यांकन (राजनांदगांव जिले के संदर्भ में)” (2018) 6 इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिव्यू एण्ड रिसर्च इन सोशल साइंस 190

[2] जैन प्रकाशचंद्र, ”विकास व्यवस्था के शिकार आदिवासीः संरक्षात्मक भेदभाव का मसला”

Indexed with SJIF
Impact Factor: 4.471
ISSN: 2456 - 608X
International Journal of Legal Research and Studies
A Peer-Reviewed Refereed Online Law Journal

शोषण और मानवीय गरिमा और आत्म–मूल्य से वंचित होने से पीड़ित थे। भारत का संविधान अनुसूचित जातियों के वाक्यांशों को मान्यता देता है और अनुसूचित जाति के विभिन्न समूहों को एक या अधिक श्रेणियों को सौंपा गया है। अनुसूचित जाति के रूप में अहिधसूचित समुदाय संविधान के अनुच्छेद 341 के खण्ड 1 में निहित हैं।

सशक्तिकरण :– व्यक्तियों और समूहों में स्वायत्तता और आत्मनिर्णय के स्तर को सशक्तिकरण के रूप में जाना जाता है। यह लोगों को अपने हितों की रक्षा करते हुए जिम्मेदारी से और स्वतंत्र रूप से कार्य करने की स्वतंत्रता देता ह। निमलिखित पांच राज्यों में अनुसूचित जाति की आबादी का आधे से अधिक हिस्सा हैं।

अनुसूचित जातियों और जनजातियों का वितरण

2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति में भारत की जनसंख्या का लगभग 16.6 प्रतिशत शामिल है। अनुसूचित जातियों को भारत के 31 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में अधिसूचित किया गया है। संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 में विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में 1,241 व्यक्तिगत जातीय समूहों आदि को अनुसूचित जातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। पिछले दशक के दौरान राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियों की सूची में कुछ बदलाव हुए हैं। अनुसूचित जातियों की सूची में दस राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश में 20 नई जातियों को मुख्य अनुसूचित जातियों के रूप में जोड़ा गया है। पिछले दशक के दौरान मुख्य अनुसूचित जातियों की संख्या 1,221 से बढ़कर 1,241 हो गई है। इसके अलावा, 15 राज्यों और 3 केनद्र शासित प्रदेशों में मुख अनुसूचित जातियों के साथ उपसमूह/वर्गों के रूप में 115 उप–प्रविष्टियों को अधिसूचित किया गया है[3]।

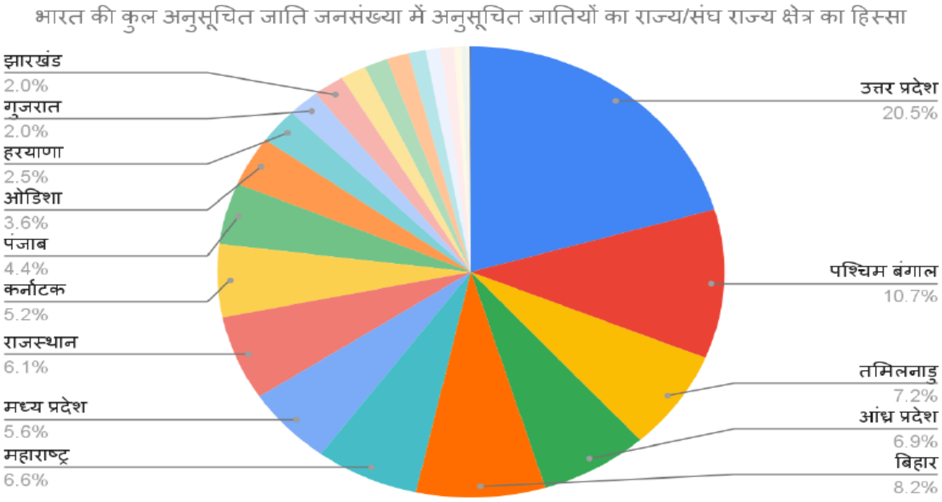

चित्र 1 : अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या के लिए प्राथमिक जनगणना सार, 2011 कार्यालय महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, भारत

अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 2011 मिलियन में

अनुसूचित जाति समुदाय पूरे देश में फैले हुए हैं, उनके 80 प्रतिशत सदस्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। वे पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश की आबादी का एक चौथई से अधिक हिस्सा बनाते हैं। राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है।

[3] अनुसूचित जाति आँकड़े (जनगणना 2011 भारत) https://www.consus2011.co.in/scheduled-castes.php

Indexed with SJIF
Impact Factor: 4.471
ISSN: 2456 - 608X
International Journal of Legal Research and Studies
A Peer-Reviewed Refereed Online Law Journal

अनुसूचित जाति की आधी से अधिक आबादी उत्तर प्रदेश (35.1 मिलियन), पश्चिम बंगाल (11.4 मिलियन), तमिलनाडू (18.8 मिलियन), आंध्र प्रदेश (12.3 मिलियन) राज्यों में केंद्रित है[4]।

तालिका 1 : अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या के लिए प्राथमिक जनगणना सार, 2011 कार्यालय महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, भारत।

सूचक	संख्या	प्रतिशत
ग्रामीण	15,38,50,562	18.5
शहरी	4,75,27,524	12.6
कुल	20,13,78,086	16.6

अनुसूचित जाति की समस्याऐं

अनुसूचित जातियों को उनके अस्वच्छ व्यवसायों के कारण अछूतों के रूप में माना जाता था, जिससे शिक्षा, चिकित्सा सुविधाओं और नौकरियों तक पहुंच में कमी जैसी कई समस्याऐं पैदा हुईं। अनुसूचित जाति की समस्याओं को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है :–

1 अस्पृश्यता की समस्या

अनुसूचित जाति समुदाय को मानव मल ढ़ोने, झाडू लगाने, मैला ढ़ोने, तेल पीसने, चमड़े का काम करने, जूते बनाने, चमड़े का काम करने और मृत पशुओं का`ले जाने जैसे अस्वच्छ व्यवसाय करने पड़ते थे। उन्हें सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने और गाँव के कुओं, तालाबों, मन्दिरों, होटलों, अस्पतालों, धर्मशालाओं और चाराहों जैसी नागरिक सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति नहीं थी। उन्हें कस्बों और गाँवों के बाहरी इलाकों में रहने के लिए मजबूर किया गया था। उन्हें निर्माण या मरम्मत, अनाज भण्डारण आदि के दौरान मजदूरों के रूप में काम करने की अनुमति थी लेकिन बाद में गोमूत्र या गोबर छिड़क कर घरों को शुद्ध किया गया। उन्हें नाइयों, धोबियों और दर्जियों की सेवाओं से वंचित कर दिया गया और उच्च जाति के सदस्यों के घरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई।

2 गरीबी

अनुसूचित जाति के पिछड़ेपन का सबसे महत्वपूर्ण कारण गरीबी और अस्पृश्यता थी। वे आर्थिक अधिकारों से वंचित थे और उनके पास उत्पादन का कोई साधन नहीं था, जिसके कारण गरीबी और खराब स्वास्थ्य था तथा अधिकांश सदस्य गरीबी रेखा के नीचे थे।

3 भौतिक अभाव

अनुसूचित जाति के अधिकांश सदस्य भौतिक संपत्ति से वंचित के साथ सूखे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सबसे पहले पीड़ित थे, क्योंकि उन्हें काम नहीं मिला और वे भुखमरी से पीड़ित थे।

4 ऋणग्रस्तता और बंधुआ मजदूरी

अनुसूचित जाति के अधिकांश सदस्य भूमिहीन मजदूर हैं जो अक्सर अपने मालिक की जमीन पर बनी झोपड़ियों में रहते हैं। वे सबसे कम वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं और मजदूरी के भुगतान में उनका शोषण किया जाता है। बैंक उन्हें ऋण नहीं देते हैं इसलिए उन्हें साहूकारों और नियोक्ताओं से उच्च ब्याज दरों पर ऋण लेना पड़ता है। आज भी भूमि और व्यवसाय पर अनुसूचित जातियों का स्वामित्व नाममात्र का है।

5 शैक्षिक पिछड़ापन

निरक्षरता अनुसूचित जाति के पिछड़ेपान का मुख्य कारण है, क्योंकि वे शिक्षा के महत्व और संविधान द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से अवगत नहीं हैं। आजादी के बाद उनके लिए स्कूल खोले

[4] पूर्ववत् ।

गए हैं लेकिन सभी बच्चों का दाखिला संभव नहीं है। आजकल अनुसूचित जातियों को व्याकरण शिक्षा समिति, अक्षराथ आंदोलन, अक्षरा दासोहा और मध्यान्ह भोजन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षित किया जा रहा है।

6 रोजगार और सरकारी सेवा

स्वतंत्रता के बाद, शिक्षा और रोजगार में आरक्षण और अन्य संवैधानिक लाभों ने अनुसूचित जाति के सदस्यों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद की। मार्गदर्शन की कमी ने उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों और जीवन और समाज के प्रति दृष्टिकोंण को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।

7 स्वास्थ्य और पोषण

भारत एक कृषि प्रधान समाज है, जिसकी 60 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है और उनका रोजगार मौसमी और अप्रत्ययाशित है, जिससे इनमें पिछड़ापन दिखायी देता है।

8 स्वास्थ्य और पोषण

अधिकांश अनुसूचित जाति की आबादी गरीबी, आवास, पीने के पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित है[5]।

9 राजनीतिक अक्षमताऐं

ब्रिटिश शासन से पहले अनुसूचित जातियों का राजनीति, प्रशासन और शासन में कोई दखल नहीं था लेकिन अम्बेडर के संघर्ष के कारण उन्हें वोट देने का अधिकार दिया गया था। स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक अवसर और अधिकार प्रदान किए गए हैं लेकिन वे अभी भी एक निर्णायक शक्ति नहीं बन पाए हैं[6]।

10 अत्याचार

अनुसूचित जातियाँ अत्याचारों का शिकार होती हैं जब वे विरोध करती हैं और अपने अधिकारों की माँग करती हैं, जैसे कि उनके घरों को जला दिया जाना, पालतू जानवरों को जाना और महिलाओं को बेरहमी से पीटा जाना।

अनुसूचित जाति के अधिकार संरक्षण के लिए संवैधानिक प्रावधान

अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए संविधान निर्माताओं की गहरी चिंता उनके उत्थान के लिए स्थापित विस्तृत संवैधानिक तंत्र में परिलक्षित होती है। अस्पृश्यता को समाप्त करता है[7]। अनुसूचित जातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष ध्यान से बढ़ावा देने और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से संरक्षण[8]। सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में अनुसूचित जाति के सदस्यों के दावों को प्रशासन की दक्षता रखरखाव के अनुरूप ध्यान में रखे जाने का प्रावधान[9]। उनकी उन्नति के लिए विशेष प्रावधानों को संदर्भित करता है[10]। अनुसूचित जातियों के पक्ष में राज्य के अधीन सेवाओं में किसी भी वर्ग या पदों के पदों पर पदोन्नति के मामलों में आरक्षण की बात करता है[11]। अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच करने, विशिष्ट शिकायतों की जांच करने और सामाजिक–आर्थिक विकास आदि की योजना प्रक्रिया में भाग एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान करता है[12]। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में सीटों के आरक्षण

[5] राबिन कुमार, इम्पैक्ट ऑफ रूरल डेव्लपमेंट ऑन शैड्यूल्ड कस्टम (अनमोल पब्लिकेशन 2002)।
[6] भूयान द, कस्टेस्म इन दंडियन पॉलिटिक्स (अनमोल पब्लिकेशन 2002) 10।
[7] अनुच्छेद 17।
[8] अनुच्छेद 46।
[9] अनुच्छेद 335।
[10] अनुच्छेद 15(4)।
[11] अनुच्छेद 16(4ए)।
[12] अनुच्छेद 338।

Indexed with SJIF
Impact Factor: 4.471
ISSN: 2456 - 608X
International Journal of Legal Research and Studies
A Peer-Reviewed Refereed Online Law Journal

का प्रावधान है[13]। स्थानीय निकायों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की परिकल्पना और प्रावधान किया गया है[14]। भारत के संविधान ने अनुसूचित जातियों के लिए विशेष रूप से या नागरिकों के रूप में उनके सामान्य अधिकारों पर जोर देने का तरीका निर्धारित किया है। उनके सामाजिक समूह को वैधानिक निकाय, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माध्यम से संस्थागत प्रतिबद्धताऐं भी प्रदान की गई हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जातियों के हितों की देखरेख करने वाला नोडल मंत्रालय है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जातियों के हितों की देखरेख करने वाला नोडल मंत्रालय है। हालांकि अनुसूचित जातियों के हितों को बढ़ावा देने की प्राथमिक जिम्मेदारी उनके संचालन के क्षेत्र में सभी केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों की है। मंत्रालय में विशेष रूप से तैयार की गई योजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हस्तक्षेप के माधयम से उनके प्रयासों को पूरा करता है। मंत्रालय के अनुसूचित जाति विकास ब्यूरो का उद्देश्य अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा किए गए प्रयासों पर भी नजर रखी जाती है।

अनुसूचित जातियों के अधिकर संरक्षण के लिए की गई पहल

अनुसूचित जाति के अधिकार संरक्षण में विभिन्न विधियों एवं आयोगों की भूमिका का अध्ययन करने के लिए उन्हें सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है।

1 सामाजिक उत्थान संबंधी अधिकारों का संरक्षण

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम को 8 मई, 1955 को पारित और अधिसूचित किया गया था। इसे विभिन्न राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा अधिनियमित किया जाता है। 1955 के नागरिक अधिकार अधिनियम का संरक्ष्ज्ञण राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों की सहायता से लागू किया गया है। यह अधिनियम अनुसूचित जाति के प्रति संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार[15] के उल्लंघन को रोकता है और अस्पृश्यता व्यवहार के लिए निषेध प्रदान करता है[16]।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989:– अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को लागू करने के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को समर्थन दिया जाता है। इन अधिनियमों को क्रियान्वित करने के लिए, राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को अत्याचार के शिकार लोगों के लिए सहायता, अंतरजातीय विवाह के लिए वित्तीय प्रोत्साहन, शिक्षा अभियान, विशेष अदालतों की स्थापना[17] विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति[18] आदि के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। 1 जनवरी, 2016 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 को 1 नवंम्बर 2016 के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था[19]।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1995:– अत्याचारों के पीड़ितों को पदान की जाने वाली सहायता राशि को अपराध के प्रकार के आधार पर 75,000 रूपये से बढ़ाकर 7,50,000 रूपये करने के लिए जून 2014 में अत्याचार निवारण विनियमों में बदलाव किया गया

---

[13] संविधान के अनुच्छेद 330 और 332।
[14] संविधान के भाग IX और IXA ।
[15] भारतीय संविधान अनुच्छेद 17।
[16] https://legislative.gov.in
[17] अधिनियम 14।
[18] अधिनियम 15।
[19] https:// legislative.gov.in

Indexed with SJIF
Impact Factor: 4.471
ISSN: 2456 - 608X
International Journal of Legal Research and Studies
A Peer-Reviewed Refereed Online Law Journal

था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 में और संशोधन किया गया है[20]।

हाथ से मैला ढोने वालों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013:— सरकार ने शुष्क शौचालयों के उन्मूलन, हाथ से मैला ढोने वालों केअन्य व्यवसायों में पुनर्वास को अत्याधिक महत्व दिया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोंण का उपयोग किया गया था[21]। जिसमें निम्नलिखित विधायी और कार्यक्रम संबंधी हस्तक्षेप शामिल थे:—

- "हाथ से मैला ढोने वालों का नियोजन और शुष्क शौचालयों का निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 (1993 अधिनियम);"
- शहरी क्षेत्रों में शुष्क शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में बदलने के लिए एकीकृत कम लागत स्वच्छता (ILDC) योजना; और
- मैला ढोने वालों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय योजना (एनएसएलआरएस) की शुरूआत।
- मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना।

उपर्युक्त सरकारी कार्यवाहियों के बावजूद मैला ढोने की प्रथा बनी रही, जैसा कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि पूरे देश में 26 लाख से अधिक अस्वच्छ शौचालय मौजूद हैं। इसलिए, सरकार ने मैला ढोने की मांग करने वाले सभी प्रकार के अस्वच्छ शौचालयों और परिस्थितियों को संबोधित करने के लिए एक नया कानून पारित करने का निर्णय लिया। संसद ने सितंबर 2013 में "मैनुअल मैला ढोने वालों के रूप में कार्य निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013" पारित किया और यह 6 दिसम्बर, 2013 को प्रभावी हो गया[22]।

- अस्वच्छ शौचालयों की पहान करना और उन्हें समाप्त करना।
- निषेध (अ) मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार (ब) सीवर और खतरनाक सेप्टिक टैंकों की हाथ से सफाई।
- मैला ढोने वालों की पहचान करना और उनका पुनर्वास करना।

2 आर्थिक उत्थान संबंधी अधिकारों का संरक्षण

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित और विकास निगमः— अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की आय—सृजन गतिविधियों को निधि देने के लिए मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया है, जो क्रमशः 98,000 रूपये और 1,20,000 रूपये की वर्तमान ग्रामीण और शहरी गरीबी सीमा से नीचे रहते हैं। ऋण पुनर्वित्त के माध्यम से कौशल विकास कार्यक्रमों की पेशकश, उद्यमिता विकास का समर्थन और राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और अन्य संस्थानों के माध्यम से आर्थिक सहायता देकर, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित और विकास निगम लक्षित समूह को सहायता प्रदान करता है[23]।

नेशनल सफाई कर्मचारी फाईनन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन :— एक अन्य मंत्रालय—संबद्ध संगठन, यह सफाई कर्मचारियों, हाथ से काम करने वाले मजदूरों और उनके आश्रितों को ऋण की सुविधा प्रदान करता है। जिससे वे राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से सामाजिक आर्थिक विकास के लिए आय—सृजन गतिविधियों में संलग्न हो सके[24]।

---

[20] "अनुसचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1995" (जनजातीय कार्य मंत्रालय)
[21] "Vikaspedia Domains"<https://vidaspedia.in/sicial-welfare/scheduled-caste-welfare-1/scheduled-caste-welfare-in-india>
[22] नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
[23] "राष्ट्रीय अनुसचित जाति वित और निगम" (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)।
[24] नेशनल सफाई कर्मचारी फाईनन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन।

Indexed with SJIF
Impact Factor: 4.471
ISSN: 2456 - 608X
International Journal of Legal Research and Studies
A Peer-Reviewed Refereed Online Law Journal

अनुसूचित जाति उप–योजना (SCSP) के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (SCA) :– अनुसूचित जाति उप–योजना अनुसूचित जातियों के विकास के लिए एक नीतिगत पहल है जिसमें कुछ मानदण्डों के आधार पर राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के एससीएसपी को 100 प्रतिशत सहायता दी जाती है, जैसे कि अनुसूचित जाति आबादी, सापेक्ष पिछड़ापन और अनुसूचित जाति परिवारों का प्रतिशत राज्य योजना में समग्र आर्थिक विकास कार्यक्रमों द्वारा सुनिश्चित किया गया। यह गारंटी देने के लिए एक व्यापक नीति है कि अनुसूचित जाति को सभी सामान्य विकास क्षेत्रों से लक्षित वित्तीय और भौतिक लाभ प्राप्त होते हैं[25]।

अनुसूचित जाति विकास निगमों (एससीडीस) को सहायता की योजना :– अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास के लिए कार्यरत 27 राज्य स्तरीय निगम हैं। उनके मुख्य कार्यों में पात्र अनुसूचित जाति परिवारों की पहचान करना और उन्हें आर्थिक विकास योजनाओं को शुरू करने के लिए प्रेरित करना, वित्तीय संस्थानों को ऋण सहायता के लिए योजनाओं को प्रायोजित करना, मार्जिन मनी, ऋण और सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना। अन्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के साथ आवश्यक समझ प्रदान करना शामिल है। वे कृषि और संबद्ध गतिविधियों, लघु उद्योगों, परिवहन और व्यापार व सेवा क्षेत्र जैसे आर्थिक गतिविधियों के विविध क्षेत्रों को समाहित करने वाली रोजगारोन्मुखी योजनाओं को वित्तपोषित करते हैं[26]।

अनुसूचित जाति के लिए वैचर कैपिटल फण्ड :– अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फण्ड, फण्ड का लक्ष्य अनुसूचित जाति के उद्यमियों को अधिमान्य दरों पर वित्तपोषण की पेशकश करते हैं। यह फण्ड आधिकारिक रूप से 16 जनवरी 2015 को शुरू हुआ था। फण्ड के लिए पहला फण्ड 2014–15 के वित्तीय वर्ष के दौरान 200 करोड़ रूपये की राशि में इस संचालित करने के लिए एक नोडल एजेंसी आईएफसीआई लिमिटेड को प्रदान किया गया था[27]।

अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारण्टी योजना :– इस कार्यक्रम का लक्ष्य अनुसूचित जातियों के युवा और शुरूआती उद्मियों को ऋण सुविधाएं प्रदान करना है, जो समाज के सबसे निचले तबके में अनुसूचित जाति के उद्यमियों को बढ़ावा देने और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए नव मध्य वर्ग श्रेणी में शामिल होने का लक्ष्य रखते हैं। योजना को पूरा करने के लिए एक नोडल ऐजेंसी होने के नाते, आईएफसीआई लिमिटेड ने शुरूआत में इसके तहत 200 करोड़ रूपये प्राप्त किए हैं[28]।

3 शैक्षणिक उत्थान संबंधी अधिकारों का संरक्षण

यह गारंटी देने के लिए कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की शिक्षा उनके परिवारों की विकट वित्तीय परिस्थितियों के कारण नहीं रूकी है, उन्हें कई छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। ये छात्रवृत्तियां प्री–मैट्रिक और पोस्ट–मैट्रिक के छात्रों को दी जाती है। अनुसूचित जाति के छात्र प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों सहित भारत और विदेशों में आगे शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। छात्रवृत्ति की निम्नलिखित तीन श्रेणियों को मोटे तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है :–

प्री–मैट्रिक स्कॉलरशिपः– इस स्तर पर ड्रॉपआउट्स की संख्या को कम करने के लिए, प्री–मैट्रिक योजना का लक्ष्य अनुसूचित जाति के बच्चों के माता–पिता को अपने बच्चों को शिक्षित करने में सहायता करना है। (1) प्री–मैट्रिक स्कॉलरशिप टू एससी छात्र प्री–मैट्रिक योजना का लक्ष्य अनुसूचित जाति के बच्चों के माता–पिता को अपने बच्चों को शिक्षित करने में सहायता करना है ताकि इस स्तर पर ड्रॉपआउट की आवृत्ति यथासंभव कम हो। (2) सफाई और स्वास्थ्य के लिए जोखिम वाले व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति– यह कार्यक्रम भी राष्ट्रीय स्तर पर वित्तपोषित है और इस चलाने

[25] "स्पेशल सेंट्रल असिस्टेन्स टू शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान" (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)
[26] "स्कीम ऑफ असिस्टन्स टू शेड्यूल्ड कास्ट्स डेवलपमेंट कॉपोरेशन" (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)।
[27] "अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड" (अनुसूचित जातियों के लिए वैंचर कैपिटल फंड)।
[28] "अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारण्टी योजना" (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)।

Indexed with SJIF
Impact Factor: 4.471
ISSN: 2456 - 608X
International Journal of Legal Research and Studies
A Peer-Reviewed Refereed Online Law Journal

वाली राज्य सरकारें और केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन भारत सरकार से पूर्ण केन्द्रीय वित पोषण प्राप्त करते हैं। उनकी व्यक्तिगत प्रतिबद्ध देनदारियों के अलावा, कार्यक्रम से संबंधित सभी खर्चों के लिए भारत[29] सरकार वहन करती है।

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना :— अनुसूचित जाति के बच्चों को अधिक शैक्षिक अवसर देने के लिए भारत सरकार का एकमात्र सबसे बड़ा प्रयास है। यह कार्यक्रम केन्द्र द्वारा वित्तपोषित है। राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा उपरोक्त योजना के तहत और उनकी संबंधित प्रतिबद्धता जिम्मेदारी से ने भुगतान किए गए खर्चों के लिए, उन्हें 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है[30]।

उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति एवं कोचिंग योजनाः— इसमें निम्नलिखित योजना शामिल हैं :—

- अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए उच्च श्रेणी की शिक्षा— योजना का लक्ष्य अनुसूचित जाति के छात्रों को आईआईटी सहित एनआईटी, आईआईएम, प्रतिष्ठित चिकित्सा और कानूनी स्कूल अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों में 12वीं कक्षा के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करके उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। जब किसी योग्य अनुसूचित जाति के छात्र को मंत्रालय द्वारा सूचीबद्ध संस्थानों में से किसी एक में प्रवेश दिया जाता है, तो उन्हें छात्रवृत्ति दी जाती है[31]।
- **राष्ट्रीय फैलोशिप :—** कार्यक्रम अनुसूचित जाति के उन छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जो एम. फिल, पीएचडी और समतुल्य शोध डिग्री करना चाहते हैं[32]।
- नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिपः— कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति, गैर—अधिसूचित समूहों खानाबदोश और अर्ध—खानाबदोश जनजातियों के छात्रों और अन्य को विदेशों में मास्टर और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है[33]।
- **अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना** :— योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बावेदकों को प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में भाग लेने और सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में उपयुक्त नौकरियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली ट्यूशन प्रदान करना है। यह संघीय, राज्य और स्थानीय सरकारों के साथ—साथ यूटी प्रशासनों, केन्द्रीय ओर राज्रू विश्वविद्यालयों, पीएसयू , पंजीकृत निजी संस्थानों और गैर—लाभकारी संगठनों द्वारा प्रबंधित संगठनों/केन्द्रों को केंद्रीकृत समर्थन प्रदान करता है। यूपीएससी, एसएससी, विभिन्न रेल्वे भर्ती बोर्डों और राज्य पीएससी द्वारा प्रशासनिक समूह "ए" और "ब" परीक्षाओं के लिए कोचिंग उपलब्ध है, बैंकों, बीमा कंपनियों और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा प्रशासित अधिकारियों की ग्रेड परीक्षाएं और प्रवेश के लिए प्रीमियर प्रवेश परीक्षाएं इंजीनियरिंग, चिकित्सा और पेशेवर कार्यक्रम[34] के लिए है।

4 अधिकार संरक्षण संबंधी अन्य योजनाएं

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई):— केन्द्रीय प्रायोजित पायलट योजना 'प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना' (पीएमएजीवाई) अनुसूचित जाति (एससी) बहुसंख्यक गांवों के एकीकृत गांवों के एकीकृत विकास के लिए लागू की जा रही है, जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या सघनता 50 प्रतिशत

[29] "अनुसूचित जाति और अन्य के लिए प्री—मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना" (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)
[30] https://transformingindia.mygov.in/scheme/post-metric-scholarship-for-scheduled-caste-students
[31] https://tcs.dosie.gov.in
[32] https://socialjustice.gov.in./scheme
[33] (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) March 11, 2023.
[34] "अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निःशुल्क कोचिंग" (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) March 6, 2023.

Indexed with SJIF
Impact Factor: 4.471
ISSN: 2456 - 608X
International Journal of Legal Research and Studies
A Peer-Reviewed Refereed Online Law Journal

है। शुरूआत में यह योजना 5 राज्यों के 1000 गांवों में शुरू की गई थी[35]। योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के बहुसंख्यक गावों का एकीकृत विकास है :–

- मुख्य रूप से प्रासंगिक केन्द्रीय और राज्य योजनाओं के अभिसरण काय्रान्वयन के माध्यम से;
- इन गांवों को प्रति गांग 20.00 लाख रूपये की सीमा तक गैप–फिलिंग फण्ड के रूप में केन्द्रीय सहायता प्रदान करके, यदि राज्य एक समान योगदान देता है तो 5 लाख की वृद्धि की जाएगी।
- मौजूदा केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत कवर नहीं होने वाली गतिविधियों को शुरू करने के लिए गैप–फिलिंग घटक प्रदान करके 'गैप फिलिंग' के घटक के तहत शुरू किया जाना है।

बाबू जगजीवन राम छत्रवास योजनाः– योजना का मुख्य लक्ष्य अनुसूचित जाति के लड़के और लड़कियों को मिडिल स्कूलों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में छात्रावास सुविधाओं तक पहूँच प्रदान करने के इरादे से एक छात्रावास निर्माण कार्यक्रम शुरू करने के लिए कार्यान्वयन संगठनों को लुभाना है[36]।

अनुसूचित जाति के छात्रों की योग्यता का उन्नयनः– नौवीं से बारहवी कक्षा में अनुसूचित जाति के बच्चों को आवासीय और गैर–आवासीय स्कूलों में प्रवेश दिया जाता है, उपचारात्मक और विशेष कोचिंग प्रदान करने के लिए संघीय सरकार से वित्त पोषण के साथ, कार्यक्रम का उद्देश्य उनकी शैक्षणिक स्थिति में सुधार करना है[37]।

डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन :– 24 मार्च, 1992 को भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक कानूनी इकाई के रूप में डॉ. अम्बेडकर के दर्शन ओर विचारधारा व शताब्दी समारोह समिति द्वारा दिए गए कुछ सुझावों को कार्यान्वित करना[38] है।

डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर :– शताब्दी समारोह समिति द्वारा किए गए महत्वपूर्ण विकल्पों में से एक जनपथ नई दिल्ली में "डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र" की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को 195.00 करोड़ रूपये की लागत से "केन्द्र" बनाने का काम दिया गया है। केंद्र की नींव आधिकारिक तौर पर 20 अप्रैल 2015 को रखी गई थी और माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि परियोजना 20 महीने में समाप्त हो जाएगी। कार्यकारी एजेंसी नेशलन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी के अनुसार काम पहले ही शुरू हो चुका है और साइट पर अच्छी तरह से चल रहा है[39]।

15. निष्कर्ष

भारत में अनुसूचित जाति को सदियों से सामाजिक और आर्थिक भेदभाव का शिकार होना पड़ा है। उनकी सुरक्षा और उत्थान सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार और उनके अधिकार की सुरक्षा के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं और नीतियों को लागू किया है। इस योजनाओं ने अनुसूचित जातियों को शिक्षा, रोजगार, आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने और उन्हें अत्याचार और भेदभाव से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन योजनाओं के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों के जीवन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, जैसा कि साक्षरता दर में वृद्धि, स्वास्थ्य सेवा तक बेहतर पहुंच और उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति में वृद्धि से स्पष्ट है। हालांकि, अनुसूचित जातियों के अधिकारियों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करता है। कुल मिलाकर, भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए लागू की योजनाएं उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और उन्हें स्वयं के उत्थान के

[35] "प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना" (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) March 9, 2023.
[36] "बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना" (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) March 10, 2023.
[37] "अनुसूचित जाति के छात्रों की योग्यता का उन्नयन" (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) March 04, 2023.
[38] "योजनाएं" (डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन) 2023.
[39] "योजनाओं का सम्मिलन" (डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन) March 3, 2023.

अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक रही हैं। हालांकि, सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखने की आवश्यकता है कि अनुसूचित जाति भेदभाव के अधीन नहीं है और उनके अधिकारों की रक्षा की जाती है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि इन योजनाओं को लाभ लक्षित आबादी तक पहूँचे और स्थायी परिवर्तन लाने के लिए उन्हें प्रभावी ढ़ंग से लागू किया जाए।